(151)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 190] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 21, 1999/वैशाख 1, 1921
No. 190] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 21, 1999/VAISAKHA 1, 1921

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1999

सा. का. नि. 277(अ).— केन्द्रीय सरकार, दादरा और नागर हवेली अधिनियम,1961 (1961 का 35) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गोवा, दमन और दीव वृक्ष परिरक्षण अधिनियम,1984 (1984 का अधिनियम संख्यांक 6) का, जैसा वह इस समय गोवा राज्य में प्रवृत्त है, निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार करती है, अर्थात्:-

उपांतरण

1. गोवा, दमण और दीव वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1984, में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, संपूर्ण अधिनियम में,-

(1) "गोवा, दमण और दीव" शब्दों के स्थान पर "दादरा और नागर हवेली" शब्द रखे जाएंगे,

(2) "इस अधिनियम शब्दों के पूर्व "दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र पर यथा विस्तारित" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

2. धारा 1 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।"

3. धारा 2 में,-

(1) खंड (क) को खंड (कक) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुर्नसंख्यांकित खंड (कक) से पहले निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(क)"प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रत है,"

(2) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा,-

"(छछ) "राजपत्र" से दादरा और नागर हवेली का राजपत्र अभिप्रेत है,"

(3) खंड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ट) "वृक्ष अधिकारी" से दादरा और नागर हवेली का उप वनपाल अभिप्रेत है" ।

(4) धारा 3 में-

(1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

"3. वृक्ष प्राधिकरण की स्थापना:- (1) प्रशासक, अधिसूचना द्वारा, संपूर्ण दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र के लिए वृक्ष प्राधिकरण की स्थापना करेगी ।"

(2) उपधारा (2) में, खंड (iii) में "विधान सभा" शब्दों के स्थान पर "जिला पंचायत" शब्द रखे जाएंगे।

5. धारा 34 में "गोवा, दमण और दीव वन नियम, 1964" शब्दों और अंकों के स्थान पर "दादरा और नागर हवेली वन नियम, 1966" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

6. धारा 38 का लोप किया जाएगा।

उपबंध

दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र पर यथाविस्तारित गोवा दमण और दीव वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम सं0 6)

गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में वृक्षों के परिरक्षण का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में गोवा, दमण और दीव विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय।

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम गोवा, दमण और दीव वृक्षों का परिरक्षण अधिनियम,1984 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र पर होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं- दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र पर यथाविस्तारित इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "प्रशासक"से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है,

(कक)"अपील प्राधिकारी" से दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र पर यथाविस्तारित इस अधिनियम के अधीन प्रशासक द्वारा अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है।

(ख)"खाली क्षेत्र" से आधा हेक्टेयर या अधिक की माप वाला कोई ऐसा भू खंड (जिस पर खेती नहीं की जाती है) अभिप्रेत है, जिसमें प्रति आधा हेक्टेयर पर पांच या उससे कम संख्या में वृक्ष उग रहे हैं,

(ग) "वन पाल" से दादरा और नागर हवेली का वनपाल अभिप्रेत है,

(घ) "उप वन पाल" से "वन प्रभाग का प्रभारी और क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाला वन अधिकारी अभिप्रेत है,

(ङ) "सरकार" से दादरा और नागर हवेली की सरकार अभिप्रेत है,

(च) ""वन-उपज" के अंतर्गत-

(क) निम्नलिखित वस्तुएं आती हैं, अर्थात् :-

इमारती लकड़ी, लकड़ी का कोयला, कुंदुक, खैर, लकड़ी का तेल, राल, प्राकृतिक वार्निश, छाल, लाख, महुआ के फूल महुआ के बीज, कुश और घास, भले ही वे वन में पाई या वन से लाई गई हों या नहीं लाई गई हों, और

(ख) निम्नलिखित वस्तुएं उस सूरत में आती हैं जिसमें कि वे वन में पाई जाती हैं या वन से लाई जाती हैं,

(i) वृक्ष और पत्ते, फूल और फल, तथा वृक्षों के इसमें इसके पूर्व अवर्णित सब अन्य भाग और उपज,

(ii) घास, बेलें, नरकुल और काई सहित) वे पौधे, जो वृक्ष नहीं हैं और ऐसे पौधे के सब भाग और उपज,

(iii) अन्य पशु और खालें, हड्डीयां, सींग, डिडियां, रेशम, रेशम के कोए, शहद और मोम तथा पशुओं के सभी अन्य भाग या उत्पाद,

(iv) पीट, सतही मिट्टी, चट्टान और खनिज (इसके अंतर्गत चूना-पत्थर, लैटराइट, खनिज तेल और खानों और खदानों की सब पैदावार आती है),

(छ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है,

(छछ) "राजपत्र" से दादरा और नागर हवेली का राजपत्र अभिप्रेत है,

(ज) "ग्रामीण क्षेत्र" से अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में निर्दिष्ट कोई क्षेत्र अभिप्रेत है,

(झ) "वृक्ष को गिराने से", उसके सजातीय पर्दों सहित, अभिप्रेत है, जड़ से पेड़ का अलग करना, वृक्ष को जड़ से उखाड़ देना और इसके अंतर्गत किसी भी रीति से वृक्ष का बुलडोजन, कटाई, बलयन, लैपिंग, छंटाई, वृक्षनाशकों का प्रयोग करना, जलाना या नुकसान पहुंचाना आता है,

(ञ) "वृक्ष" से कोई लकड़ी वाला ऐसा पौधा अभिप्रेत है, जिसकी शाखाएं पेड़ या तने से निकलती है और उसके सहारे होती हैं तथा जिसका पेड़ या तना भूमि तल से तीस सेंटीमीटर की ऊंचाई पर पांच सेंटीमीटर व्यास से कम नहीं हैं और जो भूमि तल से एक मीटर की ऊंचाई से कम का नहीं हैं,

(ट) "वृक्ष अधिकारी"से उप वनपाल, दादरा और नागर हवेली अभिप्रेत है,

(ठ) "नगरीय क्षेत्र से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो नगर पालिका में समाविष्ट है और इसके अंतर्गत ऐसा क्षेत्र भी आता है, जो दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र पर यथाविस्तारित इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, समय-समय पर, प्रशासक द्वारा, नगरीय क्षेत्र अधिसूचित किया जाए,

(ङ) "वृक्ष क्षेत्र" से भूमि का ऐसा कोई टुकड़ा अभिप्रेत है जिसकी मुख्य फसल वृक्ष हैं और जिसमें प्रत्येक हेक्टेयर में ऐसे वृक्षों की संख्या पच्चीस से कम नहीं है,

(च) "विहित" से दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र पर यथाविस्तारित इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है,

1927 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 16

(ण) उन शब्दों और पदों के, जो दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र पर यथाविस्तारित इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और भारतीय वन अधिनियम, 1927 में परिभाषित हैं किन्तु दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र पर यथाविस्तारित इस अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ होंगे, जो दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर यथाविस्तारित उस अधिनियम में है।

1927 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 16

अध्याय 2

वृक्ष प्राधिकरण

3. **वृक्ष प्राधिकरण की स्थापना**- (1) प्रशासक, अधिसूचना द्वारा संपूर्ण दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र के लिए वृक्ष प्राधिकरण का गठन करेगा।

(2) वृक्ष प्राधिकरण, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

(i) विकास आयुक्त या कोई अन्य अधिकारी, जो सरकार के सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, सरकार द्वारा नामनिर्देशित -अध्यक्ष

(ii) संबंधित राजस्व जिले का कलक्टर- सदस्य

(iii) सरकार द्वारा नाम निर्देशित जिला पंचायत के दो सदस्य -सदस्य

(iv) सरकार द्वारा नाम निर्देशित स्थानीय निकायों के दो प्रतिनिधि- सदस्य

(v) वनपाल या उसका नाम निर्देशिती -सदस्य सचिव ।

(3) वृक्ष प्राधिकरण, सदस्य के रूप में गैर सरकारी संगठनों और सरकारी विभागों के तीन से अनधिक उतनी संख्या में और उतनी अवधि के लिए, जो वह अवधारित करे ऐसे प्रतिनिधियों को, जिन्हें वृक्षों के परिरक्षण में विशेष जानकारी या व्यवहारिक अनुभव है सहयोजित कर सकेगा।

(4) वृक्ष प्राधिकरण की बैठकें- (1) वृक्ष प्राधिकरण की बैठक तीन मास में कम से कम एक बार ऐसे स्थान पर और समय पर होगी, जिसका अध्यक्ष विनिश्चय करे।

(2) वृक्ष प्राधिकरण की बैठक के कोरम का गठन धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट तीन सदस्यों से होगा।

(3) किसी सहयोजित सदस्य को बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(4) किसी विषय पर समान मत होने की दशा में अध्यक्ष को दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

अध्याय 3

अधिकारी और सेवक

5. **वृक्ष अधिकारी की नियुक्ति**-वनपाल, दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र पर यथाविस्तारित इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वृक्ष अधिकारियों के रूप में उप वनपाल से अन्यून पंक्ति के एक या अधिक वन अधिकारी नियुक्त कर सकेगा।

6. अन्य अधिकारियों की नियुक्ति-वनपाल, समय-समय पर, ऐसे अन्य अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे और वे वृक्ष अधिकारी के अधीनस्थ होंगे।

अध्याय 4

वृक्ष प्राधिकरण के कर्तव्य

7. वृक्ष प्राधिकरण के कर्तव्य- तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, वृक्ष प्राधिकरण को सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी:-

(क) उसकी अधिकारिता के अधीन सभी वृक्षों का परिरक्षण,

(ख) विद्यमान वृक्षों की गणना कराना और जब कभी आवश्यक समझा जाए सभी स्वामियों या अधिभोगियों से उनकी भूमियों में वृक्षों की संख्या के संबंध में घोषणा प्राप्त करना,

(ग) वृक्षों की संख्या और किस्मों के संबंध में मानक विनिर्दिष्ट करना, जो प्रत्येक परिक्षेत्र, भूमि की किस्म और परिसर में होंगे, और जो ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में प्रति हेक्टेयर न्यूनतम पांच वृक्ष लगाने के अधीन रहते हुए, लगाए जाएंगे,

(घ) नर्सरियों का विकास और अभिरक्षण, ऐसे व्यक्तियों को बीज, पौध और वृक्षों का प्रदाय, जिनसे नए वृक्षों को लगाने या ऐसे वृक्षों के प्रतिस्थापन की, जो गिर गए हैं, अपेक्षा है,

(ङ) भवनों, नई सड़कों के सन्निर्माण या विद्यमान सड़कों के चौड़ा करने से आवश्यक हुए वृक्षों का रोपण और प्रतिरोपण या ऐसे वृक्षों का प्रतिरोपण जो सड़क किनारे नहीं लग पाए हैं या जो जीवन और संपत्ति के खतरे से रक्षोपायों के लिए हैं,

(च) दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र पर यथाविस्तारित, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रदर्शन और विस्तार सेवाओं का संगठन करना तथा वृक्षों के रोपण और परिरक्षण से संबंधित प्राइवेट और लोक संस्थाओं की सहायता करना,

(छ) सड़कों पर, सार्वजनिक पार्कों और उद्यानों में तथा नदी या तालाब या समुद्र किनारे, उतनी संख्या में वृक्षों का रोपण और अनुरक्षण, जो विहित मानकों के अनुसार आवश्यक समझे जाएं,

(ज) दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र पर यथाविस्तारित इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए ऐसी स्कीमें बनाना या उपाय करना, जिनका सरकार द्वारा समय-समय पर, निदेश किया जाए,

(झ) विद्यमान वृक्षों/के संरक्षण के संबंध में और अधिक वृक्षों के रोपण के लिए जहां समय हो, भवनों, सड़कों, कारखानों/सिंचाई संकर्मों के सन्निमार्ण विद्युत, टेलीफोन, टेलीग्राफ और अन्य पारेषण लाइनों के बिछाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और प्राइवेट निकायों के प्रस्तावों का समालोचनात्मक अध्ययन कराना है, और

(ञ) जनता के उपयोग और मनोरंजन के लिए शहरों, कस्बों और ग्रामों में वन-क्षेत्रों, उद्यानों, पार्कों और पिकनिक स्थानों के रूप में भूमि का संवर्द्धन, सीमांकन, अर्जन और विकास करना।

अध्याय 5

वृक्षों के गिराए जाने और छटाने पर निर्बन्धन तथा वृक्षों के परिरक्षण के लिए दायित्व

8. वृक्षों के गिराए जाने और छटाने पर निर्बन्धन- तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी रूढि या प्रथा या संविदा में किसी बात के होते हुए भी और दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र पर यथा विस्तारित इस अधिनियम में यथा उपबन्धित या उसके अधीन बनाए गए नियमों के सिवाय, कोई व्यक्ति किसी ऐसी भूमि पर, चाहे वह उसके स्वामित्व वाली हो या उसके अधिभोग में हो या अन्यथा, वृक्ष अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय उत्पादित किसी वृक्ष या वन को न गिराएगा, न छटाएगा और न उसका व्ययन करेगा:

परन्तु जहां वृक्ष को तुरन्त नहीं गिराया जाता है तो इससे जीवन या सम्पत्ति या यातायात को गम्भीर खतरा पैदा हो जाएगा वहां भूमि का स्वामी ऐसे वृक्ष को गिराने के लिए तुरन्त कार्रवाई कर सकेगा और इस प्रकार गिराए जाने के चौबीस घंटे के भीतर वृक्ष अधिकारी को इस तथ्य की रिपोर्ट देगा।

9. किसी वृक्ष को गिराने, छटाने या व्ययन करने की अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया- (1) कोई व्यक्ति, जो किसी वृक्ष को गिराने, छटाने या अन्यथा किसी अन्य रीति से उसका व्ययन करने का इच्छुक है, अनुज्ञा के लिए सम्बद्ध वृक्ष अधिकारी को एक आवेदन देगा और ऐसा आवेदन भूमि पर स्वामित्व के समर्थन में दस्तावेजों की अनुप्रमाणित प्रतियों के साथ होगा जो विहित की जाएं, जिसमें काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या और प्रकार, उनका घेरा, जिसे भूमि तल से 1·85 मीटर की ऊंचाई से मापा जाएगा और उसके कारण, सर्वेक्षण क्रम, जो स्पष्टतया सम्पत्ति का स्थान और सर्वे संख्यांक दर्शित करता हो, होगा।

(2) आवेदन के प्राप्त होने पर वृक्ष अधिकारी वृक्ष का निरीक्षण और ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, या तो पूर्ण रूप से या भागतः अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा या अभिलिखित कारणों से से अनुज्ञा देने से इंकार कर सकेगा:

परन्तु ऐसी अनुज्ञा से इंकार नहीं किया जाएगा यदि:

(i) वृक्ष सूखा है, रोगग्रस्त है या हवा से गिर गया है, या

(ii) वृक्ष वन-संवर्धनात्मक रूप से परिपक्व है, यदि वह खड़ी ढलान पर नहीं है, या

(iii) वृक्ष जीवन और सम्पत्ति के लिए खतरा बन गया है, या

(iv) वृक्ष यातायात के लिए बाधा उत्पन्न करता है, या

(v) वृक्ष आग, बिजली, वर्षा या किसी अन्य प्राकृतिक कारणों से, सारवान रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है या नष्ट हो गया है, या

(vi) वृक्ष, ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी लकड़ी या पत्तियों या उसके किसी भाग को काम में लाने की दृष्टि से उसके सद्भावी उपायोग के लिए ईंधन, चारे, कृषि औजारों या अन्य घरेलू उपयोग के लिये काटा जाना अपेक्षित है।

(3) वृक्ष अधिकारी आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर अपना विनिश्चय करेगा:

परन्तु किसी व्यक्ति को उसी क्षेत्र से एक ही वर्ष के दौरान एक हैक्टेयर की अधिकतम क्षेत्र के अधीन रहते हुए दो बार से अधिक एक बार में ऐसी अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(4) यदि उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वृक्ष अधिकारी अपनी अनुज्ञा या इंकारी संसूचित करने में असफल रहता है तो धारा 8 मे निर्दिष्ट अनुज्ञा मंजूर की गई मानी जाएगी।

(5) दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र पर यथा विस्तारित इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई प्रत्येक अनुज्ञा है, ऐसे प्ररूप में और ऐसी शर्तों के अधीन होगी जिनमें क्षेत्र को पुनर्जीवित और वृक्षों को पुनः लगाना सुनिश्चित करने के लिए उनकी सुरक्षा करना या अन्यथा सम्मिलित है, जैसी विहित की जाए।

10. वृक्षों के रोपण की बाध्यता प्रत्येक व्यक्ति जिसे दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र पर यथा विस्तारित इस अधिनियम के अधीन किसी वृक्ष को गिराने या व्ययन करने की अनुज्ञा दी गई है, उस क्षेत्र में जिसमें उसके द्वारा ऐसी अनुज्ञा के अधीन वृक्ष गिराए गए हैं या व्ययन किए गए है उतनी संख्या और प्रकार के वृक्ष लगाने के लिए बाध्य होगा, जो वृक्ष अधिकारी द्वारा निर्देशित किए जाएं:

परन्तु वृक्ष अधिकारी किसी व्यक्ति को लेखबद्ध कारणों से लगाए जाने वाले वृक्षों की या भिन्न क्षेत्र में लगाए जाने वाले वृक्षों की कम संख्या अनुज्ञात कर सकेगा या उसे किसी वृक्ष के लगाने या देखभाल करने की बाध्यता से छूट दे सकेगा।

11. खाली क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में वृक्षों का लगाया जाना (1) दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र पर यथा विस्तारित इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो वृक्ष प्राधिकरण इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्रत्येक भू-स्वामी खाली क्षेत्रों में जो धारा 7 के खण्ड (ग) के अधीन इसके द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप वृक्ष लगायेगा,

(2) जहां वृक्ष अधिकारी की यह राय है कि किसी भूमि में वृक्षों की संख्या उपधारा (1) में निर्दिष्ट मानकों के अनुसार पर्याप्त नहीं है, वहां वह ऐसी भूमि के स्वामी को यह कारण बताने के लिए सूचना जारी कर सकेगा कि उतनी संख्या में वृक्षों को ऐसी भूमि पर क्यों न लगाया जाए, जो ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूचना ऐसे प्ररूप में दी जाएगी और उसमें ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी और वह ऐसी रीति में तामील की जाएगी, जो विहित की जाए।

(4) वृक्ष अधिकारी, कारण पर विचार करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जो ऐसी भूमि के स्वामी द्वारा दर्शित किया जाए, उसे उतनी संख्या में और ऐसे वर्ग के वृक्षों को लगाने का निदेश दे सकेगा, जो निदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

12. वृक्षों का परिरक्षण (1) धारा 14 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, भूमि के स्वामी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह धारा 9 के अधीन किए गए आदेश या धारा 10 या धारा 11 के अधीन जारी किसी निदेश का अनुपालन करे और ऐसे किसी आदेश या निदेश के अनुसार वृक्ष लगाए तथा यह सुनिश्चित करे कि उनकी ठीक से वृद्धि हो और वर्मती प्रकार परिरक्षित हों।

(2) सभी स्वामी प्रभावी रूप से भूमि में उगे हुए या उनके नियंत्रण के अधीन के क्षेत्रों में के सभी वृक्षों की प्रभावी रूप से सुरक्षा करेंगे और जहां वृक्ष अधिकारी की यह राय है कि वृक्षों को किसी नुकसान से सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए गए हैं तो वह स्वामी को ऐसे उपाय करने का निदेश दे सकेगा जो नुकसान से वृक्षों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक समझे गए हैं। व्यतिक्रम की दशा में वृक्ष अधिकारी ऐसे उपायों की व्यवस्था स्वयं कर सकेगा और उस पर हुए व्यय को, विहित रीति में, स्वामी से वसूल कर सकेगा।

13. धारा 9,10 और 11 के अधीन किए गए आदेश या दिए गए निदेशों को लागू करना और उनका अनुपालन करने में असफल रहने पर किए गए व्यय की वसूली -(1)

प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो धारा 9 के अधीन किए गए किसी आदेश या धारा 10 या धारा 11 के अधीन किए गए किसी निदेश के अधीन वृक्ष लगाने की बाध्यता के अधीन है, यथास्थिति, आदेश या निदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रारम्भिक कार्य आरम्भ करेगा और आने वाले या आगे की वर्षा ऋतु में या ऐसे विस्तारित समय के भीतर जिसे वृक्ष अधिकारी अनुज्ञात करे, ऐसे आदेश या निदेश के अनुसार वृक्ष लगाएगा तथा विद्यमान वृक्षों को या भूमि पर लगाए गए या उस क्षेत्र में के वृक्षों को, किसी भी नुकसान से पर्याप्त और प्रभावी संरक्षण प्रदान करेगा।

(2) ऐसे व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम किए जाने की दशा में, वृक्ष अधिकारी वृक्षों को लगा सकेगा और विहित रीति में ऐसे व्यक्ति से वृक्ष लगाने की कीमत वसूल कर सकेगा।

14. वृक्ष का अंगीकरण - दादरा और नागर हवेली राज्यक्षेत्र पर यथा विस्तारित इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, वृक्ष प्राधिकरण ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह उस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, वृक्ष के स्वामी को कारण बताओ, सूचना यदि कोई है, देने के पश्चात् कि वृक्ष को क्यों नहीं अंगीकरण के लिए दे दिया जाए, लिखित अनुज्ञा द्वारा किसी निगमित निकाय या संस्था को वृक्ष को अंगीकार करना, ऐसी अवधि के लिए जो उस अनुज्ञा में विनिर्दिष्ट की जाए, अनुज्ञात कर सकेगा और ऐसी अवधि के दौरान उक्त निगमित निकाय या संस्था उक्त वृक्ष के अनुरक्षण या परिरक्षण के लिए दायी होगी।

15. अपील- (1) धारा 9,10,11 और 12 के अधीन वृक्ष अधिकारी के आदेश या निदेश के विरुद्ध अपील तीस दिन की अवधि के भीतर अपील प्राधिकारी को जाएगी।

परन्तु अपील उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी ग्रहण की जा सकेगी यदि अपीलार्थी ने अपील प्राधिकारी का यह समाधान कर दिया है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील नहीं करने का पर्याप्त कारण था।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील लिखित रूप में अर्जी देकर की जाएगी और इसके साथ उस आदेश या निदेश की एक प्रति होगी, जिसके विरुद्ध अपील की गई है तथा साथ ही दस रुपए की फीस होगी।

(3) अपील का निपटारा करने के लिए अपील प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो विहित की जाए:

परन्तु कोई अपील तब तक नहीं निपटाई जाएगी जब तक कि अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है।

अध्याय 6
शास्तियां और प्रक्रिया

16. संपहरण का अभिग्रहण- जहां कोई ऐसा वृक्ष अधिकारी या कोई वन अधिकारी जो वन रेंजर की पंक्ति से नीचे का नहीं है या ऐसा कोई पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है, यह विश्वास करने का कारण रखता है कि किसी वृक्ष की बाबत कोई अपराध इस अधिनियम के अधीन किया गया है वहां उस वृक्ष या उसके किसी भाग के सहित, जो, यथास्थिति, जमीन से या तने से काटा गया है, उक्त अपराध के लिए जाने के लिए प्रयुक्त औजारों, उपकरणों, किश्ती नौकाओं, यानों, पशुओं या अन्य वाहनों को अभिगृहीत कर सकेगा:

परन्तु जब ऐसा अभिग्रहण वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया हो तब वह उक्त अभिग्रहण के बारे में संबद्ध वृत्त अधिकारी को तत्काल सूचित करेगा।

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन किसी संपत्ति का अभिग्रहण करने वाला प्रत्येक अधिकारी ऐसी संपत्ति पर एक चिह्न लगाएगा जो यह इंगित करेगा कि उक्त संपत्ति इस प्रकार अभिगृहीत की गई है और यथाशक्य-शीघ्र ऐसे अभिग्रहण की उक्त अपराध का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेगा जिसके कारण उक्त अभिग्रहण किया गया है।

17. **वृक्ष के काष्ठ और अन्य उपज, वृक्ष को गिराने में प्रयुक्त उपकरणों और ऐसे वृक्षों के परिवहन में प्रयुक्त यान और पशु का समपहरण**- §1§ जहां कोई व्यक्ति दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र को यथा विस्तारित इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है वहां कोई काष्ठ या वृक्ष जिसकी बाबत कोई अपराध किया गया है, वृक्ष को गिराने के लिए प्रयुक्त औजार और उपकरण तथा उसके परिवहन के लिए प्रयुक्त कोई नौका, यान, पशु या अन्य वाहन सरकार को समपहृत किए जाने के लिए न्यायालय द्वारा आदेश दिया जा सकेगा।

§2§ उपधारा §1§ के अधीन समपहृत वृक्ष के किसी काष्ठ, उपज, औजारों और उपकरणों आदि, तथा किन्ही नौकाओं, पशुओं या अन्य वाहनों का वृत्त अधिकारी द्वारा ऐसी रीति से जो विहित की जाए, व्ययन किया जाएगा।

18. **धारा 16 के अधीन अभिगृहीत संपत्ति को निर्मुक्त करने के शक्ति**- वृत्त अधिकारी धारा 16 के अधीन अभिगृहीत संपत्ति को यदि उक्त संपत्ति का स्वामी ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, जब भी अपेक्षित हो उक्त संपत्ति को पेश करने के लिए बंध पत्र निष्पादित करता है निर्मुक्त कर सकेगा।

19. **वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति**-§1§ ऐसा कोई वृत्त अधिकारी या वन अधिकारी, जो वन रेंजर की पंक्ति से नीचे का नहीं है, या पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है, वारण्ट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसके बारे में युक्तियुक्त रूप से संदेह है कि वह दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र को यथा-विस्तारित इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबद्ध रहा है और ऐसा व्यक्ति अपना नाम और पता बताने से इंकार करता है अथवा ऐसा नाम या पता बताता है जिसके बारे में संबद्ध अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है अथवा उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति फरार हो जाएगा।

§2§ उपधारा §1§ के अधीन गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को, यथाशीघ्र ऐसी गिरफ्तारी के आधारों की सूचना दी जाएगी और उस मामले पर अधिकारिता रखने वाले निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़ कर, ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर पेश किया जाएगा और ऐसा कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि के परे निरुद्ध नहीं रखा जाएगा।

20. **गिरफ्तार व्यक्ति को निर्मुक्त करने की शक्ति**- कोई ऐसा अधिकारी जिसने किसी व्यक्ति को धारा 19 की उपधारा §1§ के उपबंधों के अधीन गिरफ्तार किया है, ऐसे व्यक्ति को, जब अपेक्षित हो, मामले पर अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या ऐसे पुलिस या वन अधिकारी के समक्ष जो उप वनपाल या वृत्त अधिकारी की पंक्ति से नीचे का नहीं है, उपसंजात होने के लिए उचित प्रतिभूति के साथ उसके द्वारा बंधपत्र निष्पादित किए जाने पर निर्मुक्त कर सकेगा।

F.223/G1/99-2

21. अपराध किए जाने को निवारित करने की शक्ति- प्रत्येक वृक्ष अधिकारी या उसके अधिनस्थ अथवा कोई वन, राजस्व या पुलिस अधिकारी दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र को यथा विस्तारित इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने को निवारित करेगा और उक्त अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से हस्तक्षेप कर सकेगा।

22. अपराध का शमन करने की शक्ति-(1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, वृक्ष अधिकारी या उप वनपाल की पंक्ति से निम्न किसी वन अधिकारी को -

(क) दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र को यथा विस्तारित इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध का-

(i) उस अपराध के लिए जिसके बारे में ऐसे व्यक्ति पर यह संदेह है कि उसने उक्त अपराध किया है, प्रशमन फीस के रूप में दस हजार रुपए से अनधिक रकम के, और

(ii) उस वृक्ष के काष्ठ और अन्य उपज, यदि कोई है, के मूल्य के, जिसकी बाबत उक्त अपराध किया गया है, संदाय पर शमन करने के लिए,

(ख) अभिगृहीत या समपहरण किए जाने योग्य किसी संपत्ति को उसके उस मूल्य के संदाय पर जो ऐसे अधिकारी द्वारा प्राक्कलित किया जाएगा और यथास्थिति, वृक्ष अधिकारी या किसी वन अधिकारी द्वारा आदिष्ट उक्त अपराध के प्रशमन के लिए संदेय के रूप में अवधारित रकम के संदाय पर निर्मुक्त करने के लिए, सशक्त कर सकेगी।

(2) ऐसे अधिकारी को यथास्थिति, ऐसी रकमों या ऐसे मूल्य या दोनों के संदाय पर अभिगृहीत संपत्ति को और यदि अपराधी अभिरक्षा में है तो उसे निर्मुक्त कर दिया जाएगा और ऐसे अपराधी या संपत्ति के विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

23. कतिपय अधिकारियों द्वारा अधिनियम के उल्लंघन की रिपोर्ट करना- प्रत्येक वन अधिकारी, पंचायत सचिव, पुलिस के सिपाही या उससे वरिष्ठ प्रत्येक अधिकारी और कृषि, भूमि सर्वेक्षण और राजस्व विभागों के प्रत्येक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह-

(क) धारा 8 के किसी उल्लंघन के बारे में उसकी जानकारी में आने वाली सूचना और ऐसा उल्लंघन करने की तैयारी की सूचना वृक्ष अधिकारी या उप वनपाल को तत्काल दें,

(ख) ऐसे उल्लंघन को निवारित करने के लिए जिसके बारे में वह जानकारी रखता है या यह विश्वास करने के कारण रखता है कि ऐसा उल्लंघन होने वाला है या उल्लंघन किए जाने की संभावना है, अपनी शक्ति में के सभी युक्तियुक्त उपाय करे।

24. कंपनियों द्वारा अपराध- (1) यदि दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र को यथा विस्तारित इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध का करने वाला व्यक्ति कंपनी है तो वह कंपनी और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कार बार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र को यथा विस्तारित इस अधिनियम के अधीन दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र को यथा विस्तारित इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी

द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस सजापराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए-

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है, और

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

25. शास्ति- (1) कोई व्यक्ति, जो दादरा और नागर हवेली सघ राज्यक्षेत्र को यथा विस्तारित इस अधिनियम के, या इसके अधीन बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करेगा, दोषसिद्धि पर, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडित किया जायगा।

(2) ऐसा प्रत्येक वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी, को तंग करने के लिए और अनावश्यक रूप से इस बहाने किसी संपत्ति को जो कब्जे बनाएगा या अभिगृहीत करेगा कि ऐसी संपत्ति दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र को यथा विस्तारित इस अधिनियम के अधीन समपहृत किए जाने के दायित्वधीन है, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

26. शास्ति/के अधिनिर्णीत किए जाने या समपहरण में अन्य दंड से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा- दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र को यथा विस्तारित इस अधिनियम के अधीन शास्ति अधिनिर्णीत किए जाने या किसी संपत्ति के समपहरण किए जाने से ऐसे किसी अन्य दंड का दिया जाना निवारित नहीं होगा जिसके लिए उससे प्रभावित व्यक्ति किसी अन्य विधि के अधीन भागी है।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

27. अधिकारियों का लोक सेवक होना- दादरा और नागर हवेली संघी राज्यक्षेत्र को यथा विस्तारित इस अधिनियम के अधीन किन्हीं शक्तियों का प्रयोग या किन्हीं कर्तव्यों का अथवा कृत्यों को निर्वहन करने वाले अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जायेंगे।

28. कार्यवाहियों का वर्जन- दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र को यथाविस्तारित इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशायत किसी बात के लिए कोई वाद या कार्यवाही सरकार या दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र को यथा विस्तारित इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग या कर्तव्यों का पालन अथवा कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।

29. धन के संदाय के लिये आदेश का निष्पादन- कोई राशि, जिसमें किसी अपराध के शमन के लिए कोई रकम भी सम्मिलित है, जिसके संदाय के लिए, दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र पर यथाविस्तारित इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा दिये जाने के लिए निदेश दिया गया है, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उससे भूराजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगी।

1927 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 16

30. अधिनियम का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना- दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर यथाविस्तारित इस अधिनियम की कोई बात, सरकार वन विभाग के नियंत्रणाधीन किसी सरकारी वन, भारतीय वन अधिनियम 1927 के अधीन अधिसूचित किसी वन या वन भूमि को लागू नहीं होगी।

31. छूट देने की सरकार की शक्ति- अधिरोपित की जाने वाली शर्तों, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए, सरकार, यदि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है तो, अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र या वृक्षों की किसी जाति को, दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर यथाविस्तारित इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों से छूट दे सकती है।

32. वृक्षों के परिरक्षण की सरकार की शक्ति- (1) सरकार साधारण जनता के हित में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकती है कि उस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के लिए क्षों के किसी वर्ग को नहीं गिराया जाएगा।

(2) ऐसे वृक्षों का प्रबन्ध विहित रीति में विनियमित किया जाएगा।

33. वृक्ष अधिकारी में कतिपय शक्तियों का विनिहित किया जाना-

(1) सरकार अधिसूचना द्वारा, वृक्ष अधिकारियों और अन्य अधिकारियों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं शक्तियों को विनिहित कर सकेगी, अर्थात:

(क) किसी भूमि पर प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण, सीमांकन करने तथा उसका मानचित्र तैयार करने की शक्ति,

(ख) साक्षियों को हाजिर कराने की और दस्तावेजों तथा तात्विक सामग्री को पेश कराने की सिविल न्यायालय की शक्ति,

(ग) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति,

(घ) दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर यथाविस्तारित इस अधिनियम के अधीन अपराधों की जांच करने और ऐसी जांच के दौरान साक्ष्य प्राप्त करने और उसे अभिलिखित करने की शक्ति,

(ङ) दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर यथाविस्तारित इस अधिनियम के अधीन संपत्ति का कब्जा लेने की शक्ति:

(च) संपत्ति के निर्मोचन या आरोपों को वापिस लिये जाने के लिए निर्देश देने की शक्ति: और

(छ) किसी व्यक्ति से किसी उपयुक्त जाति का/के वृक्ष या वृक्षों का पर्याप्त संख्या में उसके स्वामित्वाधीन/अधिभोगाधीन किसी भूमि पर रोपण किए जाने की अपेक्षा करने की शक्ति:

1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2

(2) उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन अभिलिखित कोई साक्ष्य मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी पश्चातवर्ती विचारण में ग्राह्य होगा यदि वह साक्ष्य अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में लिया गया हो और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 274, धारा 276 या धारा 277 में उपबंधित रीति से अभिलिखित किया गया हो।

34. गिराई गई सामग्री का अभिवहन- भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 41 और दादरा और नागर हवेली वन नियम, 1966 के अध्याय 5 के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर यथाविस्तारित इस अधिनियम के अधीन गिराये गए वृक्षों के अभिवहन को लागू होंगे।

35. निर्देश देने की सरकार शक्ति- सरकार,समय-समय पर, वृक्ष अधिकारियों, वृक्ष प्राधिकरण के अन्य अधिकारियों और उनके अधीनस्थ अधिकारियों को उनके कृत्यों के निर्वहन और दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर यथाविस्तारित इस अधिनियम के प्रयोजनों के प्रभावी रूप से क्रियान्वयन के लिए साधारण या विशेष निदेश दे सकेगी और ऐसे वृक्ष अधिकारी तथा अन्य अधिकारी, जारी किए गए निर्देशों का पालन करेंगे।

36. नियम बनाने की शक्ति- सरकार, अधिसूचना द्वारा दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर यथाविस्तारित इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

37. दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र पर यथाविस्तारित इस अधिनियम के उपबंध ,तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे- दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर यथाविस्तारित इस अधिनियम की कोई बात, किसी अन्य विधि और तद्धीन बनाए गए नियमों के प्रवर्तन को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जायगी और दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर यथा विस्तारित इस अधिनियम के उपबंध दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर यथाविस्तारित उक्त अधिनियम के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

अनुसूची- 1

[धारा 2 देखिए]

शहरी क्षेत्रों के बाहर स्वच्छ क्षेत्र जिसमें ऐसी भूमि समाविष्ट है जिसमें नारियल, सुपारी, रबर, कोको, काजू, आम, चीकू, या कोई अन्य उद्यान -कृषि फसल, जिसमें वृक्ष क्षेत्र भी है, की खेती की जा रही हो और जो भूमि सरकार की है तथा अन्य के पक्ष में पट्टे पर दी गई हो।

अनुसूची- 2

[धारा 2 देखिए]

वे क्षेत्र जिनमें अनुसूची 1 में सम्मिलित भूमि से भिन्न शहरी क्षेत्रों के बाहर की भूमि समाविष्ट है।

[फा. सं. यू-11015/4/96-यू.टी.एल.(197)]

पी. के. जलाली, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 1999

G.S.R. 277(E).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Dadra and Nagar Haveli Act, 1961 (35 of 1961), the Central Government hereby extends to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli, the Goa, Daman and Diu Preservation of Trees Act, 1984 (Act No.6 of 1984) as at present in force in the State of Goa, subject to the following modifications, namely:-

Modifications

1. In the Goa, Daman and Diu Preservation of Trees Act, 1984, unless the context otherwise requires, throughout the Act, --

(1) for the words "Goa, Daman and Diu", the words "Dadra and Nagar Haveli" shall be substituted.

(2) after the words "this Act", the words "as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli" shall be inserted.

2. In section 1, for sub-section (3), the following shall be substituted, namely:-

"(3) It shall come into force at once."

3. In section 2 --

(1) clause (a) shall be renumbered as clause (aa) and before the clause (aa) as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely:-
"(a) "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli appointed by the President under article 239 of the Constitution;"

(2) after clause (g), the following clause shall be inserted,--
"(gg) "Official Gazette" means the Dadra and Nagar Haveli Gazette;"

(3) for clause (k), the following clause shall be substituted, namely:-
"(k) "Tree Officer" means Deputy Conservator of forests of Dadra and Nagar Haveli".

IndiaCode

4. In section 3 --

(1) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"3. Establishment of Tree Authority.-- (1) The Administrator shall, by notification, constitute a Tree Authority for the whole of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli."

(2) in sub-section (2), in clause (iii), for the words "Legislative Assembly", the words "District Panchayats" shall be substituted.

5. In section 34, for the words "Goa, Daman and Diu Forests Rules, 1964", the words "Dadra and Nagar Haveli Forests Rules, 1966" shall be substituted.

6. Section 38 shall be omitted.

ANNEXURE

The Goa, Daman and Diu Preservation of Trees Act, 1984 as extended to the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli

(Act No.6 of 1984)

AN

ACT

to provide for the preservation of trees in the Union territory of Goa, Daman and Diu.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Goa, Daman and Diu in the Thirty-fifth Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER 1

Preliminary

1. Short title, extent and commencement.-- (1) This Act may be called the Goa, Daman and Diu Preservation of Trees Act, 1984.

(2) It shall extend to the whole of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli.

IndiaCode

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions.-- In this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli, unless the context otherwise requires,--

(a) "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli appointed by the President under article 239 of the Constitution;

(aa) "Appellate Authority" means an authority appointed by the Administrator as appellate authority under this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli;

(b) "blank area" means any piece of land (not being under cultivation) measuring one-half of an hectare or more, which has five or less number of trees growing on it per every half hectares;

(c) "Conservator of Forests" means the Conservator of Forests, Dadra and Nagar Haveli;

(d) "Deputy Conservator of Forests" means a Forest Officer in-charge of a Forest Division and exercising jurisdiction over the area;

(e) "Government" means the Government of Dadra and Nagar Haveli;

(f) "forest produce" includes--

(a) the following whether found in, or brought from, a forest or not, that is to say--

timber, charcoal, caoutchouc, catechu, wood-oil, resin, natural varnish, bark, lac, mahua flowers, mahua seeds, kuth and myrabolams, and

(b) the following when found in, or brought from, a forest, that is to say--

(i) trees and leaves, flowers and fruits, and all other parts or produce not hereinbefore mentioned, of trees,

(ii) plants not being trees (including grass, creepers, reeds and moss), and all parts or produce of such plants,

(iii) wild animals and skins, tusks, horns, bones, silk, cocoons, honey and wax, and all other parts of produce of animals, and

(iv) peat, surface soil, rock and minerals (including limestone, laterite, mineral oils, and oil products of mines or quarries);

(g) "notification" means a notification published in the Official Gazette;

(gg) "Official Gazette" means the Dadra and Nagar Haveli Gazette;

(h) "rural area" means an area as specified in Schedules I and II;

(i) "to fell a tree" with its cognate expression, means severing the trunk from the roots, uprooting the tree and includes bull-dozing, cutting, girdling, lepping, pollarding, applying arboricides, burning or damaging a tree in any other manner;

(j) "tree" means any woody plant whose branches spring from and are supported upon a trunk or body and whose trunk or body is not less than five centimetre in diameter at a height of thirty centimetres from the ground level and is not less than one metre in height from the ground level;

(k) "Tree Officer" means Deputy Conservator of Forests, Dadra and Nagar Haveli;

(l) "urban area" means an area comprised in a Municipality and includes such area as may be notified as urban area by the Administrator from time to time for the purposes of this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli;

(m) "wood lot" means any piece of land of which trees form the main crop, the number of such trees in each hectare being not less than twenty-five;

(n) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli;

CENTRAL ACT 16 OF 1927

(o) words and expressions used in this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and defined in the Indian Forest Act, 1927, but not defined in this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli shall have the meanings respectively assigned to them in that Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli.

CENTRAL ACT 16 OF 1927

IndiaCode

CHAPTER II
Tree Authority

3. Establishment of Tree Authority.-- (1) The Administrator shall, by notification, constitute a Tree Authority for the whole of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli.

(2) The Tree Authority shall consist of the following members, namely:-

(i) Development Commissioner or any other officer not below the rank of Secretary to the Government nominated by the Government - Chairman;

(ii) Collector of the concerned revenue District -

Member.

(iii) Two Members of the District Panchayat nominated by the Government - Members.

(iv) Two Representatives of the local bodies nominated by the Government - Members.

(v) Conservator of Forests or his nominee -- Member-Secretary.

(3) The Tree Authority may co-opt as members in such manner and for such period as it may determine not more than three representatives of non-official organisations and Government Departments having special knowledge or practical experience in the preservation of trees.

4. Meetings of the Tree Authority.-- (1) The Tree Authority shall meet at least once in three months at such place and time as the Chairman may decide.

(2) The quorum to constitute a meeting of the Tree Authority shall be three members referred to in sub-section (2) of section 3.

(3) No co-opted member shall have the right to vote at a meeting.

(4) In the case of an equality of votes on any matter, the Chairman shall have a second or casting vote.

CHAPTER III
Officers and Servants

5. Appointment of Tree Officer.-- The Conservator of

Forests may, appoint one or more Forest Officers of a rank not below that of a Deputy Conservator of Forests as Tree Officers for the purposes of this act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli

6. Appointment of other Officers.-- The Conservator of Forests may, from time to time, appoint such other officers and servants as he may consider necessary who shall be subordinate to the Tree officer.

CHAPTER IV
Duties of Tree Authority

7. Duties of Tree Authority.-- Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the Tree Authority shall, subject to any general or special order of the Government, be responsible for --

(a) the preservation of all trees within its jurisdiction;

(b) carrying out census of the existing trees and obtaining, whenever considered necessary, declarations from all owners or occupants about the number of trees in their lands;

(c) specifying standards regarding the number and kind of trees which each locality, type of land and premises shall have and which shall be planted subject to a minimum of five trees per hectare in the case of rural areas;

(d) development and maintenance of nurseries, supply of seeds, sapplings and trees to persons who are required to plant new trees or to replace trees which have been felled;

IndiaCode

(e) planting and transplanting of trees necessitated by construction of buildings, new roads or widening of existing roads or replacement of trees which have failed to come up along roads or for safeguarding danger to life and property;

(f) organisation of demonstration and extension services for the purposes of this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and assisting private and public institutions connected with planting and preservation of trees;

(g) planting and maintaining such number of trees as may be considered necessary according to the prescribed standards on roads, in public parks and gardens and on the banks of rivers or lakes or seashores;

(h) undertaking such schemes or measures as may be directed from time to time by the Government for achieving the objects of this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli;

(i) undertaking critical study of the proposals of various Government Departments and private bodies for construction of buildings, roads, factories, irrigation works, laying out of electric, telephone, telegraphic and other transmission lines with regard to protection of existing trees and planting of more trees, wherever possible; and

(j) promotion, demarcation, acquisition and development of land as wood lots, gardens, parks and picnic spots in cities, towns and villages for the use and recreation of public.

IndiaCode

CHAPTER V

Restrictions of felling and removal of trees and liabilities for preservation of trees

8. Restriction on felling and removal of trees.-- Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or in any custom or usage or contract and except as provided in this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli or the rules made thereunder, no person shall fell or remove or dispose of any tree or forest produce in any land, whether in his ownership or occupancy or otherwise, except with the previous permission of the Tree Officer:

Provided that if the tree is not immediately felled, there would be grave danger to life or property or traffic, the owner of the land may take immediate action to fell such tree and report the fact to the Tree Officer within twenty-four hours of such felling.

9. Procedure for obtaining permission to fell out, remove or dispose of a tree -- (1) Any person desiring to fell or remove or otherwise dispose of by any means a tree, shall make an application to the concerned Tree Officer for permission and such application shall be accompanied by attested copies of the documents as may be prescribed in support of ownership over the land, the number and kind of trees to be cut, their girth measured at a height of 1.85 metres from ground level and the reasons therefor , survey sketch showing clearly the site and survey numbers of the property.

(2) On receipt of the application, the Tree Officer may, after inspecting the tree and holding such enquiry as he may deem necessary, either grant permission in whole or in part or for reasons to be recorded in writing refuse permission:

Provided that such permission shall not be refused if the tree __

(i) is dead, diseased or wind-fallen; or

(ii) is silviculturally mature provided it does not occur on a steep slope; or

(iii) constitutes a danger to life or property; or

(iv) constitutes obstruction to traffic; or

(v) is substantially damaged or destroyed by fire, lightning, rain, or other natural causes; or

(vi) is required in rural areas to be cut with a view to appropriating the wood or leaves thereof or any part thereof for bonafide use for fuel, fodder, agricultural implements or other domestic use.

(3) the Tree Officer shall give his decision within sixty days from the date of receipt of the application:

Provided that no permission shall be granted to any person from the same area on more than two occasions during the same year subject to a maximum area of one hectare at a time.

(4) If the Tree Officer fails to communicate his permission or refusal within the period specified under sub-section (3), the permission referred to in section 8 shall be deemed to have been granted.

(5) Every permission granted under this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli shall be in such form and subject to such conditions, including taking of security for ensuring regeneration of the area and replanting of trees or otherwise, as may be prescribed.

10. Obligation to plant trees.— Every person, who is granted permission under this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli to fell or dispose of any tree, shall be bound to plant such number and kind of trees in the area from which the tree is felled or disposed of by him under such permission, as may be directed by the Tree Officer:

Provided that the Tree Officer may, for reasons to be recorded in writing permit lesser number of trees to be planted or trees to be planted in any different area or exempt any person from the obligation to plant or tend any tree.

11. Planting of adequate number of trees in blank areas.—(1)Every owner of land shall, within a period of two years from the date of commencement of this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli or within such extended period as the Tree Authority may specify in this behalf, plant trees in blank areas so as to conform to the standards specified by it under clause (c) of section 7.

(2) Where the Tree Officer is of the opinion that the number of tree in any land is not adequate according to the standards referred to in sub-section (1), he may issue a notice to the owner of such land to show cause as to why trees as may be specified in such notice should not be planted in such land.

(3) The notice referred to in sub-section (2) shall be given in such form and shall contain such particulars and shall be served in such manner as may be prescribed.

(4) The Tree Officer may, after considering the cause, if any, shown by the owner of such land, direct him to plant such number and class of trees as may be specified in the direction.

12. Preservation of trees.— (1) Subject to the provisions of section 14, it shall be the duty of the owner of the land to comply with an order made under section 9, or a direction issued under section 10 or section 11 and to plant trees in accordance with such an order or direction and to ensure that they grow well and are well preserved.

(2) All the owners shall effectively protect all the trees growing in the lands or the areas under their control and where the Tree Officer is of the opinion that adequate measures have not been taken to protect the trees from any damage, he may direct the owner to take such measures as are considered necessary to protect trees from damage. In case of default, the tree officer may himself arrange such measures and recover the expenditure therenn from the owner in the prescribed manner.

13. Implementation of order made or directions given under sections 9, 10 and 11 and recovery of expenditure on failure to comply with them.— (1) Every person who is under an obligation to plant trees under an order made under section 9 or a direction given under section 10 or section 11 shall start preparatory work within thirty days of the date of receipt of the order or direction, as the case may be, and shall plant trees in accordance with such order or direction in the ensuing or following rainy season or within such extended time as the Tree Officer may, allow, and shall provide adequate and effective protection to the trees that exist or are planted in the land or the area from any damage.

(2) In case of default by such person, the Tree Officer may cause trees to be planted and may recover the cost of plantation from such person in the prescribed manner.

14. Adoption of tree. — Notwithstanding anything contained in this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli or in any other law for the time being in force, the Tree Authority may, subject to such terms and conditions as it may specify in that behalf, after giving notice to the owner of the tree to show cause, if any, as to why the tree should not be given in adoption, allow, by a written permission, any body corporate or institution to adopt the tree for such period as may be specified in the permission and during such period, the said body corporate or institution shall be responsible for the maintenance and preservation of the said tree.

15. Appeal. — (1) An appeal shall lie against the order or direction of the Tree Officer under sections 9, 10, 11 and 12 to the Appellate Authority within a period of thirty days:

Provided that an appeal may be admitted after the expiry of the said period of thirty days if the appellant satisfies the Appellate Authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period.

(2) Every appeal under this section shall be made by a petition in writing and shall be accompanied by a copy of the order or direction appealed against and shall be accompanied by a fee of rupees ten.

2236/99-4.

(3) In disposing of an appeal, the Appellate Authority shall follow such procedure as may be prescribed.

Provided that no appeal shall be disposed of unless the appellant has been given a reasonable opportunity of being heard.

CHAPTER VI

Penalties and Procedure

16. Seizure of property. —— Where the Tree Officer or a Forest Officer not below the rank of a Forest Ranger or a Police Officer not below the rank of a Sub-Inspector has reasons to believe that an offence under this Act is committed in respect of any tree, he may seize the tools, implements, any boats, vehicles, animals or other conveyances used for the commission of the said offence, alongwith the tree or part thereof which has been served from the ground or the trunk, as the case may be:

IndiaCode

Provided that when the seizure has been affected by a Forest Officer or a Police Officer, he shall immediately inform the concerned Tree Officer about the said seizure:

Provided further that every officer seizing any property under this section shall place on such property a mark indicating that the same has been so seized and shall as soon as may be, make a report of such seizure to the Magistrate having jurisdiction to try the offence on account of which the seizure has been made."

17. Forfeiture of timber and other produce from the tree, implements used for felling and vehicle and animal used for transport of such trees. ——(1) Where any person is convicted of an offence under this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli any timber or the tree in respect of which an offence is committed, the tools and implements used for felling, and any boats, vehicles, animals or other conveyances used for its transport, may be ordered by the court to be forfeited to Government.

(2) Any timber produce from the tree, tools, and implements etc. and any boats, animals or other convevances forfeited under sub-section (1) shall be disposed off by the Tree Officer in such manner as may be prescribed.

18. Power of release property seized under section 16. —— The Tree Officer may release the property seized under section 16 if the owner of the land executes a bond in such form as may be prescribed for its production whenever required.

19. Power to arrest without warrant.— (1) Any Tree Officer or a Forest Officer not below the rank of a Forest Ranger or a Police Officer not below the rank of a Sub-Inspector may, without a warrant, arrest any person reasonably suspected of having been concerned in any offence under this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and such person refuses to give his name or address or gives a name or address which the concerned officer has reason to believe to be false or if he has reason to believe that the person will abscond.

(2) Any person arrested under sub-section (1) shall be informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest and shall be produced before the nearest Magistrate having jurisdiction in the case within twenty four hours of such arrest excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the Magistrate and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of the Magistrate.

20. Power to release person arrested. —— Any officer who has arrested any person under the provisions of sub-section (1) of section 19 may release such person on his executing a bond with proper surety to appear, if and when so required, before the Magistrate having jurisdiction in the case, or before the Police or the Forest Officer not below the rank of Deputy Conservator of Forests or the Tree Officer.

21. Power to prevent commission of offence. —— Every Tree Officer or his subordinates or any forest, Revenue or Police Officer shall prevent and may interfere for the purpose of preventing the commission of any offence under this Act as

IndiaCode

extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli.

22. Power to compound offence. —— The Government may, by notification, empower a Tree Officer or any Forest Officer not below the rank of Deputy Conservator of Forests ——

(a) to compound any offence committed under this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nager Haveli on payment of ——

(i) a sum not exceeding rupees ten thousand by way of composition for the offence which such person is suspected to have committed; and

(ii) the value of timber and other produce, if any, from the tree in respect of which the offence has been committed.

(b) to release any property seized or liable to confiscation, on payment of the value thereof, as estimated by such officer and the amount determined as payable for composition of the offence, as ordered by the Tree Officer or any Forest Officer, as the case may be.

(2) On the payment of such sums or such value or both, as the case may be, to such Officer, the property seized and the offender, if in custody, shall be released and no further proceedings shall be taken against such offender or property.

23. Contravention of Act to be reported by certain Officers. It shall be the duty of every forest officer, Panchayat Secretary, Police Constable or any Officer superior to him and every Officer of the Departments of Agriculture, Land Survey and revenue ——

(a) to give immediate information coming to his knowledge of any contravention of section 8 and of preparation to commit such contravention to the Tree Officer or the Deputy Conservator of Forests;

(b) to take all reasonable measures in his power to prevent such contravention which he may know or have reason to believe that it is about or likely to be committed.

24. Offences by Companies. —— (1) If the person committing an offence under this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli is a Company, the company as well as every person incharge of and responsible to the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be prosecuted against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due deligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli has been committed by a company and it is proved that the offence was committed with the consent or connivance of or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary, treasurer or other officer of the Company, such director, manager, secretary, treasurer or other officer of the company shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation. —— For the purposes of this section ——

(a) "Company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(b) "Director" in relation to a firm means a partner in the firm.

25. Penalty.—— (1) Any person who contravenes any of the provisions of this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli or rules or orders made thereunder

shall, on conviction, be punished with imprisonment which may extend to one year or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

(2) Every Forest Officer or Police Officer who vexatiously and unnecessarily arrests or seizes any property on pretence of such property being liable to forfeiture under this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to five hundred rupees or with both.

26. Award of penalty or forfeiture not to interfere with other punishment.—— The award of penalty or forfeiture of any property under this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli shall not prevent the inflicting of any punishment to which the person affected thereby is liable under any other law.

India Code

CHAPTER VII

Miscellaneous

27. Officers to be public servants.—— The officers exercising powers or discharging any duties or functions under this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

28. Bar of proceedings.—— No suit or proceedings shall lie against the government or any person empowered to exercise power or to perform duties or discharge functions under this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli, for anything done or purporting to be done or omitted to be done in good faith under this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli or the rules and orders made thereunder.

29. Executions of order for payment of money. —— Any sum, including any amount for compostion of an offence, the payment of which has been directed to be made by any person under this act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli shall without prejudice to any other mode of recovery under any law for the time being in force, be recoverable from him as an arrear of land revenue.

CENTRAL ACT 16 OF 1927

CENTRAL ACT 16 OF 1927.

30. Act not to apply to certain areas. —— Nothing in this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli shall apply to the Government, a Government forest under the control of the Forest Department, a forest or forest land notified under the Indian Forest Act, 1927.

31. Power of the Government to exempt.—— Subject to such conditions, if any, as may be imposed, the Government may, if it considers it necessary so to do in the public interest, by notification, exempt any area or any species of trees from all or any of the provisions of this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli.

32. Power of the Government for Preservation of trees.—— (1) The Government may in the interest of general public, declare by notification that any class of trees shall not be felled for such period as is specified in that notification.

(2) The management of such trees shall be regulated in the prescribed manner.

IndiaCode

33. Investing tree Officer with certain powers.— (1) The Government may, by notification, invest the Tree Officers and other officers with all or any of the following powers, namely:-

(a) power to enter upon any land and to survey, demarcate and make a map of the name;

(b) powers of a civil court to compel the attendance of witnesses and the production of documents and material objects;

(c) power to issue a search warrant under the code of Criminal Procedure, 1973;

(d) power to hold enquiries into offences under the Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and in the course of such enquiry to receive and record evidence;

(e) power to take possession of property under the Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli;

(f) power to direct release of property or withdrawal of charges; and

(g) power to require any person to plant tree or trees of suitable species in adequate numbers on any land owned or occupied by him.

CENTRAL ACT 2 OF 1974

(2) any evidence recorded under clause (d) of sub-section (1) shall be admissible in any subsequent trial before a Magistrate if such evidence has been taken in the presence of the accused person and recorded in the manner provided by section 274, section 276 or section 277 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

CENTRAL ACT 2 OF 1974.

34. Transit of felled material.— The provisions of section 41 of the Indian Forest Act, 1927 and Chapter V of the Dadra and Nagar Haveli Forest Rules, 1966 shall mutatis mutandis, apply to the transit of the felled trees under this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli.

SCHEDULE II

(See section 2)

Areas, comprising of lands outside the urban areas other than those included in Schedule I.

[F. No. U-11015/4/96-UTL(197)]
P. K. JALALI, Jt. Secy. (UT)

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

35. Power of the Government to give direction. —— The Government may from time to time give to the Tree Officers, other officers of the Tree Authority and officers subordinate to them general or special directions regarding the discharge of their functions and for carrying out effectively the purposes of this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and such Tree Officers and other officers shall comply with the directions issued.

36. Power to make rules.—— The Government may, by notification, make rules to carry out the purposes of this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli.

37. Provision of this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli to be in addition to any other law for the time being in force. —— Nothing in this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli shall be deemed to affect the operation of any other law and the rules made thereunder and the provisions of this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli shall be in addition to and not in derogation of the provisions of the said Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and rules made thereunder.

SCHEDULE I

(See section 2)

Areas comprising of land, outside the urban areas, under cultivation of coconut, areca-nuts, rubber, cocoa, cashewnut, mango, sapota or any other horticultural crop, including woodlots and land belonging to the Government and leased out in favour of others.